संख्या 274 /59-2-2010-20(खा)/2009

प्रेषक,

अशोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग,
उ0प्र0 लखनऊ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 7 अप्रैल, 2011

विषय :- गांधी जयन्ती के अवसर पर खादी वस्त्रों की फुटकर बिक्री पर छूट योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 में आयोजनागत मद में प्राविधानित धनराशि की प्रथम छमाही हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्रांक 02/खा0ग्रा0बो0/खादी/रिबेट/2011-12 दिनांक 06.04.2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश में कार्यरत खादी आयोग/बोर्ड में पंजीकृत संस्थाओं द्वारा वर्ष 2010-11 में खादी वस्त्रों की बिक्री पर दी गई छूट के दावों के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रु0 117500.00 हजार (रुपये ग्यारह करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) में से प्रथम छमाही के लिए पचास प्रतिशत धनराशि रु0 58750.00 हजार (पांच करोड़ सत्तासी लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

F.A.
9-4-11

2- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण वर्ष 2011-12 तक खादी बिक्री पर छूट के दावों के भुगतान हेतु स्वीकृत समस्त धनराशि की उपयोगिता प्रमाण-पत्र सप्रमाण उपलब्ध कराने के उपरान्त ही किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि हेतु प्रतिमाह भुगतान की जाने वाली धनराशि मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बी0एम0-13 में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि आवश्यकतानुसार ही आहरण की जायेगी और व्यय करते समय भुगतान करने वाले अधिकारी वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-901/दस-2011-231/2011, दिनांक 21.03.2011 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को वित्तीय वर्ष में ही उपलब्ध कराया जायेगा।

6– उक्त स्वीकृत धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–5 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2851–ग्राम तथा लघु उद्योग–आयोजनागत–105–खादी ग्रामोद्योग–04–गांधी जयन्ती के अवसर पर खादी की बिक्री पर छूट–27–सब्सिडी" के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि के नामे डाला जायेगा।

7– ये आदेश वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–901/दस–2010–231/2011, दिनांक 21.03.2011 में की गयी व्यवस्था के अनुसार वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या 274 (1)/59–2–2011–20(खा)/2009 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–6/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1, नियोजन अनुभाग–4
5. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
8. उप निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 अशोक चन्द्र)
संयुक्त सचिव